

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

संकल्प

विषय:- झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग 'ए', 'बी' और 'सी' में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु "एकलव्य प्रशिक्षण योजना" की स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा एवं रोजगार प्राप्ति के क्षेत्र में झारखण्ड राष्ट्रीय औसत से पीछे है। झारखण्ड राज्य को विकसित राज्य की पंक्ति में आने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को उत्कृष्ट करते हुए इससे जुड़े रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए। साथ ही राज्य के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए उचित माध्यम प्रदान किया जाए एवं लाभकारी सेवाएँ प्रारम्भ की जाए। यह तभी संभव हो पाएगा जब राज्य के युवक/युवतियों को रोजगार प्राप्ति हेतु गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "एकलव्य प्रशिक्षण योजना" को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

2. योजना के उद्देश्य:- वैसे विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अर्हता रखते हों, को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करना।

3. इस योजना के निम्न अवयव होंगे:-

(क) निःशुल्क कोचिंग की सुविधा :-

संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एवं बैंकिंग, रेलवे, केंद्रीय/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आदि की तैयारी हेतु झारखण्ड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ख) कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता राशि:-

कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500/- रु0 प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

4. लाभार्थियों की पात्रता:-

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 3847 दिनांक- 10.08.2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना





अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।

- (ख) पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न हो।
- (ग) वैसे प्रवेश परीक्षा, जिसकी कोचिंग लेने के लिए इच्छुक हो, के अर्हता को अनिवार्य रूप से पूर्ण करता हो।

5. कोचिंग संस्थानों का चयन एवं निर्धारण:-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा/बैंकिंग/रेलवे/केन्द्रीय/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आदि की तैयारी के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित झारखण्ड राज्य में अवस्थित कोचिंग संस्थान या झारखण्ड राज्य में कोचिंग संस्थानों का संचालन करने हेतु इच्छुक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान चयन के पात्र होंगे।
- (ख) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का चयन "उच्च स्तरीय समिति" की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।
- (ग) कोचिंग संस्थानों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु Standard Operating Procedure (SOP) पृथक रूप से तैयार किया जायेगा।
- (घ) विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की अधिकतम संख्या निम्नवत है:-

| क्र० सं० | विवरणी                                                                          | सूचीबद्ध (Empanelled) संस्थानों की अधिकतम संख्या |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (i)      | संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु     | 05                                               |
| (ii)     | झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु | 05                                               |
| (iii)    | बैंक पी० ओ० एवं बैंक लिपिक (Bank Clerical) परीक्षा की तैयारी हेतु               | 05                                               |
| (iv)     | रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु                                        | 05                                               |
| (v)      | कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु                                        | 05                                               |
|          | <b>कुल</b>                                                                      | <b>25</b>                                        |

6. लाभार्थियों का चयन:-

- (क) लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाली निजी एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा के प्रारूप के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तथा Standard Operating Procedure (SOP) पृथक रूप से निर्गत किया जायेगा।





- (ख) प्रवेश परीक्षा में प्राप्तों (Marks Obtained) के आधार पर समेकित मेधा सूची, तैयार की जायेगी। मेधा सूची एवं विद्यार्थी द्वारा दिए गए विकल्प तथा कोचिंग सेंटर के लिए निर्धारित कुल सीटों के आधार पर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के लिए चयनित किया जायेगा।
- (ग) कोचिंग संस्थानों में लाभार्थियों के चयन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण नीति प्रभावी होगा।
- (घ) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थियों की अधिकतम संख्या निम्नवत है:-

| क्र० सं० | विवरणी                                                                          | लाभार्थियों की अधिकतम संख्या |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (i)      | संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु     | 1000                         |
| (ii)     | झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु | 2000                         |
| (iii)    | बैंक पी० ओ० परीक्षा की तैयारी हेतु                                              | 2000                         |
| (iv)     | बैंक लिपिक (Bank Clerical) परीक्षा की तैयारी हेतु                               | 5000                         |
| (v)      | रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु                                        | 8500                         |
| (vi)     | कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु                                        | 8500                         |
|          | <b>कुल</b>                                                                      | <b>27000</b>                 |

7. वित्तीय प्रावधान:-

- (क) कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या एवं कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत-प्रतिशत ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- (ख) प्रत्येक लाभार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि हेतु 2500/- रु० प्रतिमाह का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

8. अनुश्रवण की व्यवस्था:-

- (क) "एकलव्य प्रशिक्षण योजना" का अनुश्रवण "उच्च स्तरीय समिति" के द्वारा किया जायेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के द्वारा "उच्च स्तरीय समिति" का गठन पृथक रूप से किया जायेगा।
- (ख) योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Monitoring Unit) का गठन किया जायेगा।

9. बजटीय उपबंध:-

उक्त योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय निम्नवत होगा:-

| भाग                                 | विवरणी                                                    | कुल लाभार्थियों की संख्या | अनुमानित वार्षिक व्यय (लाख में) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>I. कोचिंग संस्थानों का शुल्क</b> |                                                           |                           |                                 |
| (क)                                 | संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 1,50,000/- | 1000                      | 1500.00                         |





|                                       |                                                                                       |              |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| (ख)                                   | झारखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 1,00,000/-                         | 2000         | 2000.00         |
| (ग)                                   | बैंक पी0 ओ0 परीक्षा की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 50,000/-                             | 2000         | 1000.00         |
| (घ)                                   | बैंक लिपिक (Bank Clerical) की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 25,000/-                      | 5000         | 1250.00         |
| (ङ)                                   | रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 25,000/-                       | 8500         | 2125.00         |
| (च)                                   | झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हेतु कोचिंग @ Rs. 25,000/- | 8500         | 2125.00         |
| <b>कुल</b>                            |                                                                                       | <b>27000</b> | <b>10000.00</b> |
| <b>II. लाभार्थियों को सहायता राशि</b> |                                                                                       |              |                 |
| (छ)                                   | लाभार्थियों को सहायता राशि @ Rs. 2,500/- प्रति माह                                    | 27000        | 8100.00         |
| <b>कुल</b>                            |                                                                                       |              | <b>8100.00</b>  |
| <b>कुल (I+II)</b>                     |                                                                                       |              | <b>18100.00</b> |
| III.                                  | अकास्मिक निधि                                                                         |              | 905.00          |
| (ज)                                   | (Contingency Fund- 5%)                                                                |              |                 |
| <b>कुल</b>                            |                                                                                       |              | <b>905.00</b>   |
| <b>सकल योग (I+II+III)</b>             |                                                                                       |              | <b>19005.00</b> |

10. योजना का लाभ वैसे अभ्यर्थियों को देय होगा जो योजना प्रवृत्त होने की तिथि के उपरांत अर्हता धारित करेंगे।
11. प्रस्ताव है कि झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु "एकलव्य प्रशिक्षण योजना" के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार 1,90,05,00,000/- (एक सौ नब्बे करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र होगी।
12. एकलव्य प्रशिक्षण योजना की राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्यशीर्ष-2202- सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B8- छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना एवं द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायता अनुदान मद में आवंटित राशि से होगा।
13. योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 07.11.2022 में योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक- रा0यो0प्रा0-169/2022 दिनांक 08.11.2022 के माध्यम से प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति दी गयी है:-
  1. "प्रशासी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि किसी अन्य विभाग की कोई समरूप योजना (उदाहरणस्वरूप अनु0ज0जा0, अनु0जा0, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण





विभाग का संकल्प सं0 4127 दिनांक 26.11.2018) के लाभार्थियों को दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जाय।

2. किसी भी लाभार्थी को एक बार ही लाभ देय होगा।"

13.1 योजना प्राधिकृत समिति के उपरोक्त शर्त के आलोक में अन्य विभाग की कोई समरूप योजना (उदाहरणस्वरूप अनु0ज0जा0, अनु0जा0, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का संकल्प सं0 4127 दिनांक 26.11.2018) के लाभार्थियों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना के किसी भी लाभार्थी को एक बार ही लाभ देय होगा।

14. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संलेख ज्ञापांक 206/बजट दिनांक 10.11.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में मद संख्या 21 में स्वीकृति प्राप्त है।

15. यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/बजट

राँची/दिनांक- 14/11/2022

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/बजट

राँची/दिनांक- 14/11/2022

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/बजट

राँची/दिनांक- 14/11/2022

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, पी0एम0यू0 (वित्त प्रभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।

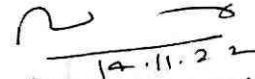
  
(राहुल कुमार पुरवार)  
सरकार के सचिव।



ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/९५६

राँची/दिनांक-14/11/2022

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
14.11.22

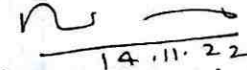
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/९५६

राँची/दिनांक-14/11/2022

प्रतिलिपि- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुलसचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी/लेखा शाखा (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
14.11.22

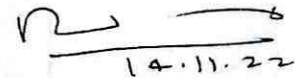
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो.01-33/2022 (उ0शि0) 218/९५६

राँची/दिनांक-14/11/2022

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की सॉफ्ट कॉपी वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

